न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर

अध्यासितः– श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

प्रा0पत्र सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
78/19	24.9.19	23.2.22

उनवान

1. करीमुदीन पुत्र श्री फूलवा खां जाति मेव निवासी ग्राम नंगली पठान तह0 किशनगढबास जिला अलवर (राज0)

:–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब (लैण्ड होल्डर) किशनगढबास तह0 किशनगढबास जिला अलवर (राज)

:–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–1. श्री मुकेश कुमार सैनी प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी कीओर से जवाब सरकार

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः'–

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी ख0 सं0 52 रकबा 0.7800 हे0, 56 रकबा 0.1000हे0, 267 रकबा 0.0500 हे0, 266 रकबा 0.0500हे0, 47 रकबा 0.6200 हे0, 53 रकबा 0.2300 हे0, 57 रकबा 0.2000 हे0, 58 रकबा 0.0800 हे0, 268 रकबा 0.1400 हे0, 269 रकबा 0.1300हे0, 351 रकबा 0.2500 हे0, 388 रकबा 0.2800हे0, 8 रकबा 0.1800 हे0, 9 रकबा 0.2400 हे0, 33/801 रकबा 1.2800 हे0, 33/602 रकबा 0. 0300 हे0, 34 रकबा 0.8700 हे0, 397 रकबा 0.3300 हे0, 5 रकबा 0.5600 हे0, 60 रकबा 0. 3300 हे0, वाके ग्राम नंगलीपठान तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 में स्थित है, जो आराजी मिन प्रार्थी की जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीदशुदा आराजी है । जिस पर मिन प्रार्थी शांतिपूर्वक काबिज वो दाखिल होकर काश्त करता आ रहा है । वास्ते मुलाहिजा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 संलग्न प्रार्थना पत्र है ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

मिन प्रार्थी का सही नाम व वल्दियात करीमुद्दीन पुत्र फूलवा खां है जो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड तथा आधार कार्ड, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, 1969 व 1967 तथा के.सी.सी. में दर्ज है । पहचान पत्र, राशन कार्ड तथा आधार कार्ड, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, 1969 व 1967 तथा के.सी.सी. की फोटो प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मिन प्रार्थी के गलत नाम व वल्दियत के स्थान पर मिन प्रार्थी का सही नाम व वल्दियत दर्ज किया जाना अतिआवश्यक , उचित एवं न्यायसंगत है ं।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त खसरा नम्बरान में मिन प्रार्थी के गलत नाम व वल्दियत करीम खां पुत्र फूल खां को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर मिन प्रार्थी के सही नाम व वल्दियत करीमुद्दीन पुत्र श्री फूलवा खां अंकित किये जाने, की आज्ञा सादिर प्रदान करे। महति कृपा होगी ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया। प्रार्थी ने स्वयं का शपथ पत्र, अब्दुल करीम पुत्र फुलवा खां ,सुलतान खां पुत्र मम्मनखां जातियान मेव के शपथ पत्र पेश किये है। जिसमें प्रार्थी का सही नाम करीमुद्दीन पुत्र श्री फुलखां बताया है।

वकील पक्षकरान को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात पटवारी हल्का रिपोर्ट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका सन 1969 ,प्रार्थी का आधार कार्ड, बैक पास बुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड में करीमुद्दीन पुत्र फलवां अंकित है। तथा पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी संवत 2072–75 वाके ग्रम चामरोदा में प्रार्थी का नाम करीमखां पुत्र फुलखां जो गलत अंकित है। तथा बयनामा दिनांक 23.6.84 में प्रार्थी के पिता का नाम फूलवांखा अंकित है लेकिन राजस्व रिकार्ड में फुलखा अंकित हो गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड से साबित होता है कि प्रार्थी का सही नाम करीमुद्दीन तथा प्रार्थी के पिता का सही नाम फुलवां खा है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एंव न्यायगसंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि आराजी ख0सं0 52 रकबा 0.7800 हे0, 56 रकबा 0.1000हे0, 267 रकबा 0.0500 हे0, 266 रकबा 0.0500हे0, 47 रकबा 0.6200 हे0, 53 रकबा 0.2300 हे0, 57 रकबा 0.2000 हे0, 58 रकबा 0.0800 हे0, 268 रकबा 0.1400 हे0, 269 रकबा 0.1300हे0, 351 रकबा 0.2500 हे0, 388 रकबा 0.2800हे0, 8 रकबा 0.1800 हे0, 9 रकबा 0.2400 हे0, 33/801 रकबा 1.2800 हे0, 33/602 रकबा 0.0300 हे0, 34 रकबा 0.8700 हे0, 397 रकबा 0.3300 हे0, 5 रकबा 0.5600 हे0, 60 रकबा 0.3300 हे0, वाके ग्राम नंगलीपठान तहसील तहसील किशनगढबास में प्रार्थी का गलत नाम व वल्दियत करीमखां पुत्र फूलखां को हजफ किया जाकर इसके स्थान पर करीमुद्दीन पुत्र फुलवाखां अंकित किया जावे। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)